This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 / 03 आश्विन, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–49 / 2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023

(2023 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2023 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 5 का संशोधन।
4. धारा 15 का संशोधन।
5. धारा 17–क का अन्तःस्थापन।
6. धारा 18 का संशोधन।
7. धारा 21 का संशोधन।
8. धारा 23 का संशोधन।
9. धारा 33 का संशोधन।
10. धारा 35 का संशोधन।
11. धारा 37 का संशोधन।
12. धारा 62–क का अन्तःस्थापन।
13. धारा 107 का संशोधन।
14. धारा 117 का संशोधन।
15. धारा 120 का संशोधन।
16. धारा 138–क का अन्तःस्थापन।
17. धारा 162 का संशोधन।

———————

2023 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. **धारा 4 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 के खण्ड (6) में ''हिमाचल प्रदेश के लिए राजपत्र से'' शब्दों के स्थान पर ''राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

3. **धारा 5 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5 में, उप–धारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण –1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत या छावनी बोर्ड की सीमा के भीतर स्थल को ग्राम स्थल नहीं समझा जाएगा।''।

4. **धारा 15 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 15 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु कोई भी अपील विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी अपीलार्थी, यदि, यथास्थिति, कलक्टर, कमिश्नर या फाइनेन्शियल कमिश्नर का यह समाधान करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।''

5. **धारा 17–क का अन्तःस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"17–क **अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण का विनिश्चय करने के लिए समय सीमा.**–(1) इस अधिनियम की धारा 14 में यथा उपबन्धित के सिवाय कलेक्टर, कमिश्नर या फाइनेन्शियल कमिश्नर, यथास्थिति, अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के प्रत्येक मामले का विनिश्चय उसके फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर करेगाः

परन्तु समय अवधि कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके दो मास तक विस्तारित की जा सकेगी।

(2) यदि राजस्व अधिकारी विस्तारित अवधि के भीतर मामले का विनिश्चय करने में असफल रहता है तो अंतिम न्यायनिर्णयन हेतु कार्यवाही केवल नियत अवधि के व्यपगत हो जाने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी तथापि, कलेक्टर और कमिश्नर के मामले में, वह उस अधिकारी को, जिसके नियन्त्रण में वह है, ऐसे विलम्ब के कारणों का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट पर विचार करने और रिकार्ड की जांच करने के पश्चात्, यदि नियन्त्रक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले का विनिश्चय करने में विलम्ब के लिए विधिमान्य और वास्तविक कारण थे, तो वह बिना किसी आगामी कार्रवाई के रिपोर्ट स्वीकृत कर सकेगा। यदि नियन्त्रक अधिकारी का इस रिपोर्ट से समाधान नहीं होता है तो वह भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई के लिए और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, सरकार को अपना प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि राजस्व अधिकारी उप–धारा (2) के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ऐसे अधिकारी को लागू सुसंगत सेवा नियम के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।''।

6. **धारा 18 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कोई राजस्व अधिकारी किसी मामले, जिसको निपटाने के लिए वह इस अधिनियम के अधीन सशक्त है के अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए किसी अन्य राजस्व अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। अन्वेषण अधिकारी, सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् दो मास के भीतर रिपोर्ट देगा। राजस्व अधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् नियत अवधि के भीतर गुणागुण के आधार पर मामले का विनिश्चय करेगा।''।

7. धारा 21 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 21 में,–

(क) उप–धारा (1) में, ''अभिज्ञात एजेन्ट द्वारा अथवा (ग) उसके साथ साधारणतया रहने वाले उसके कुटुम्ब के वयस्क पुरुष द्वारा कराई जाएगी'' शब्दों, कोष्ठक और चिन्हों के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– ''अभिज्ञात एजेन्ट द्वारा, या (ग) उसके साथ रहने वाले उसके कुटुम्ब के वयस्क पुरुषों द्वारा कराई जाएगीः''

परन्तु ऐसा कोई वयस्क सदस्य, उस मामले की कार्यवाही में पक्षकार नहीं होना चाहिए जिससे समन संबंधित है।

स्पष्टीकरण.–इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए, कुटुम्ब से, पति या पत्नी, पुत्र अविवाहित पुत्रियां अभिप्रेत है।''।

(ख) राजभाषा हिन्दी पाठ की इस उप–धारा में संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ग) उप–धारा (5) में, चिन्ह '' : '' के स्थान पर '' । '' चिन्ह रखा जाएगा तत्पश्चात् परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(घ) इस प्रकार संशोधित उप–धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(6) यदि राजस्व अधिकारी इस प्रकार निदेश देता है, तो उसमें नामित व्यक्तियों को लघु संदेश सेवा (एस एम एस) या व्हाट्सअप, इलैक्ट्रॉनिक मेल (ई–मेल) या फोन नम्बर पर अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से समन की तामील किसी अन्य ढंग के अतिरिक्त या उसके स्थान पर या इलैक्ट्रॉनिक मेल पता जो राजस्व अधिकारी के पास उपलब्ध होगा या अन्यथा ज्ञात होगा या ज्ञात कराया गया, द्वारा तामील किया जाएगाः

परन्तु यदि तामील इस उप–धारा में विनिर्दिष्ट किसी भी पद्धति के माध्यम से की गई है तो, यथास्थिति, आवेदक या अपीलकर्ता, प्राप्तिकर्ता के फोन नम्बर या इलैक्ट्रॉनिक मेल पते की वास्तविकता के बारे में राजस्व अधिकारी का समाधान होने पर सबूत प्रदान करेगा और, यथास्थिति, सम्बद्ध पक्षकार के इलैक्ट्रॉनिक मेल पता या मोबाइल नम्बर पर पुष्टि परिदान रिपोर्ट पर समुचित सेवा के साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी और संसूचना का प्रिंट आउट अभिलेख में रखा जाएगाः

परन्तु यह और कि आवेदक या अपीलकर्ता द्वारा फाइल किया गया शपथ–पत्र, फोन नम्बर या इलैक्ट्रॉनिक मेल पता जिस पर संसूचना प्राप्तिकर्ता से सम्बन्धित होने के कारण भेजी गई है, की वास्तविकता से सम्बन्धित पर्याप्त सबूत होगा।''।

8. धारा 23 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 23 में,–

(क) राजभाषा हिन्दी पाठ की इस धारा में संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) ''अनुसार'' शब्द के पश्चात् ''या क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र या राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन द्वारा'' शब्द रखे जाएंगे।

9. धारा 33 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2–क) फाइनेन्शियल कमिश्नर अधिकार अभिलेख को बनाने या संशोधित करने के लिए ऐसी समयावधि विनिर्दिष्ट कर सकेगा जैसी वह उचित समझे।''।

10. धारा 35 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 35 में,–

(क) उप–धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(7) राजस्व अधिकारी ऐसी रीति और ऐसे समय के लिए जैसा फाइनेन्शियल कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए में जारी किए जाने वाले सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से उप–धारा (1) या (2) के अधीन यथा रिपोर्ट किए गए अधिकारों के अधिग्रहण के इन्तकाल को अंतिम रूप देने के लिए आक्षेप आमंत्रित करेगा और यदि आक्षेप प्राप्त होते हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों को सुनने और आक्षेपों पर निर्णय लेने के पश्चात् अंतिम आदेश पारित करेगा। यदि विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं तो राजस्व अधिकारी ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।; और

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप–धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"(8) राजस्व अधिकारी उप–धारा (1) या (2) के अधीन रिपोर्ट की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उप–धारा (5) के अधीन आदेश पारित करेगा और यदि राजस्व अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर आदेश पारित करने में असफल रहता है तो अंतिम न्यायनिर्णयन हेतु कार्यवाहियां केवल नियत अवधि व्यपगत हो जाने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी। तथापि, वह उस अधिकारी को जिसके नियन्त्रण में वह है, इस प्रकार के विलम्ब के कारणों का उल्लेख करते हुए ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट पर विचार करने और अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् यदि नियन्त्रण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आदेश पारित करने में देरी के लिए विधिमान्य और वास्तविक कारण थे तो बिना और कार्रवाई के रिपोर्ट को स्वीकार कर सकेगा। यदि नियन्त्रण अधिकारी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध ऐसी रीति में ऐसी कार्रवाई करने हेतु जैसी विहित की जाए, सरकार को अपने प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा।

(9) यदि राजस्व अधिकारी उपधारा (8) के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे अधिकारी को लागू सुसंगत सेवा नियमों के अधीन सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कार्रवाई के लिए दायी होगा।''।

11. धारा 37 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 37 में उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(4) इस धारा की उप–धारा (1) या (2) के अधीन सहायक कलेक्टर से भिन्न राजस्व अधिकारी किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदन दायर करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कार्यवाही पर विनिश्चय करेगाः

परन्तु यह कि कारणों को लिखित में अभिलिखित करके समय अवधि को तीन मास तक के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(5) दोनों में से किसी भी ग्रेड का सहायक कलेक्टर ऐसी कार्यवाही को दो मास की अवधि, जिसे कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए एक मास तक बढ़ाया जा सकेगा, के भीतर विनिश्चित करेगा।

(6) यदि राजस्व अधिकारी विस्तारित अवधि के भीतर इस धारा के अधीन मामले का विनिश्चय करने में असफल रहता है तो अंतिम न्यायनिर्णयन हेतु कार्यवाहियां केवल नियत अवधि के व्यपगत हो जाने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी। तथापि, राजस्व अधिकारी ऐसे विलम्ब के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उस अधिकारी जिसके वह नियन्त्रणाधीन है, को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट पर विचार करने और अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् यदि नियंत्रक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले का विनिश्चय करने में विलम्ब के लिए विधिमान्य और वास्तविक कारण थे तो वह बिना कोई आगामी कार्रवाई किए रिपोर्ट को स्वीकार करेगा। यदि नियंत्रक अधिकारी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, ऐसी कार्रवाई के लिए सरकार को अपना प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि राजस्व अधिकारी उपधारा (6) के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे अधिकारी को लागू सुसंगत सेवा नियमों के अधीन सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कार्रवाई के लिए दायी होगा।''।

12. धारा 62–क का अन्तस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 62 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"62क इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी निर्धारण वृत्त को पुनरीक्षित बंदोबस्त के दौरान भू–राजस्व निर्धारण प्रक्रिया से छूट प्रदान कर सकेगी और बन्दोबस्त कलेक्टर की सिफारिश पर अंतिम बंदोबस्त के दौरान निर्धारित भू–राजस्व के दस गुणा से अनधिक एकमुश्त भू–राजस्व नियत कर सकेगी।"।

13. धारा 107 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 107 में उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(3) राजस्व अधिकारी अंतिम बंदोबस्त में उपयोग की गई सर्वेक्षण पद्धति अर्थात् यथास्थिति, त्रिभुजन प्रणाली या वर्ग प्रणाली या माप की इलैक्ट्रॉनिक समग्र अवस्थान प्रणाली (इलैक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन सिस्टम ऑफ मैजरमैंट) आदि के आधार पर माप संचालित करते हुए उप–धारा (1) में उल्लिखित सीमाओं की परिसीमा अंकित करेगा।

(4) राजस्व अधिकारी ऐसा आवेदन दायर करने की तारीख से दो मास के भीतर सीमाएं अंकित करने की कार्यवाही को विनिश्चित करेगाः

परन्तु यह कि कारणों को लिखित में अभिलिखित करके समय अवधि एक मास तक विस्तारित की जा सकेगी।

(5) यदि राजस्व अधिकारी विस्तारित अवधि के भीतर मामले का विनिश्चय करने में असफल रहता है तो अंतिम न्यायनिर्णयन हेतु कार्यवाहियां केवल नियत अवधि के व्यपगत हो जाने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी। तथापि, राजस्व अधिकारी ऐसे विलम्ब के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उस अधिकारी जिसके वह नियन्त्रणाधीन है, को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट पर विचार करने और अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् यदि नियंत्रक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले का विनिश्चय करने में विलम्ब के लिए विधिमान्य और वास्तविक कारण थे तो वह बिना कोई आगामी कार्रवाई किए रिपोर्ट को स्वीकार करेगा। यदि नियंत्रक अधिकारी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, ऐसी कार्रवाई के लिए सरकार को अपना प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि राजस्व अधिकारी उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे अधिकारी को लागू सुसंगत सेवा नियमों के अधीन सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कार्रवाई के लिए दायी होगा।

(7) उप–धारा (1) के अधीन राजस्व अधिकारी द्वारा अंकित सीमाओं पर, यदि समस्त हितबद्ध पक्षकार सहमत हो जाते हैं और स्वीकृति प्रकट करते हैं और कार्यवाही के दौरान किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया जाता है, तो ऐसी कार्यवाही में राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।''।

14. धारा 117 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 117 की उप–धारा (2) में ''माल–अधिकारी के स्वविवेक पर पचास रुपए तक'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''जो विहित किया जाए'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

15. धारा 120 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 120 की उप–धारा (2) में ''इंडियन पीनल कोड (Indian Penal Code) की धारा 434'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के पश्चात् ''और लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 3) के उपबन्धों'' शब्द, चिन्ह और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

16. धारा 138–क का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 138 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''138–क विभाजन माामलों के विनिश्चय की समय–सीमा.–(1) राजस्व अधिकारी विभाजन हेतु आवेदन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर विभाजन कार्यवाहियों पर विनिश्चय करेगाः

परन्तु यह कि कारणों को लिखित में अभिलिखित करके समय अवधि को तीन मास तक विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) यदि राजस्व अधिकारी विस्तारित अवधि के भीतर मामले का विनिश्चय करने में असफल रहता है तो अंतिम न्यायनिर्णयन हेतु कार्यवाहियां केवल नियत अवधि के व्यपगत हो जाने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी। तथापि, राजस्व अधिकारी ऐसे विलम्ब के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उस अधिकारी जिसके वह नियन्त्रणाधीन है, को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट पर विचार करने और अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् यदि नियंत्रक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले का विनिश्चय करने में विलम्ब के लिए विधिमान्य और वास्तविक कारण थे तो वह बिना कोई आगामी कार्रवाई किए रिपोर्ट को स्वीकार करेगा। यदि नियंत्रक अधिकारी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, ऐसी कार्रवाई के लिए सरकार को अपना प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि राजस्व अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे अधिकारी को लागू सुसंगत सेवा नियमों के अधीन सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कार्रवाई के लिए दायी होगा।''।

17. धारा 162 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 162 में ''माल–अधिकारी के स्वविवेक पर पचास रुपए तक के अर्थ दण्ड का भागी होगा'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''ऐसे अर्थ दण्ड का भागी होगा जैसा विहित किया जाए'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

––––––––

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि से सम्बन्धित प्रशासन, हक और लोगों के अधिकारों को विनियमित करता है। गत कुछ दशकों के दौरान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुए हैं जिससे राजस्व व्यवस्था प्रणाली पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इसलिए, बहुतायत लोगों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति के आशय से इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों का अद्यतन करना अनिवार्य हो गया है।

अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु और राजस्व मामलों के निपटान में देरी के कारण लोगों को पेश आ रही कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान करने हेतु इसमें परिवर्तन करना अपेक्षित है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि राजस्व मामलों का अत्यधिक लम्बित रहना न्याय परिदान प्रणाली की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। वर्तमानतः, अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों में राजस्व मामलों के निपटान हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बहुत से राजस्व न्यायालयों में किसी विशिष्ट समय में संस्थित मामलों की संख्या निष्पादित मामलों की संख्या से कहीं अधिक है जिसके कारण मामलों के लम्बित रहने में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसलिए, मामलों के निर्णय में देरी की समस्या दूर करने हेतु राजस्व अधिकारियों द्वारा मामलों के विनिश्चय हेतु समय–सीमा का प्रस्ताव किया गया है।

यह देखा गया है कि पक्षकारों को समुचित तामील / समन करने में देरी के कारण अधिकतर राजस्व मामले रुके हुए हैं। अतः समन की त्वरित और समुचित तामील सुनिश्चित करने के आशय से समन की इलैक्ट्रॉनिक पद्धति और प्रेषिती के कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को समन करने का उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।

किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित अधिकारों का इन्तकाल इस तथ्य के बावजूद लोक सुनवाई की अपेक्षा करता है कि अधिकारों के ऐसे अधिकतर अधिग्रहण निर्विवाद होते हैं। ऐसे परिदृश्य में, इन्तकाल कार्यवाहियों की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के आशय से आक्षेप आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक नोटिस की अवधारणा को पुरःस्थापित करने की आवश्यकता है।

यह भी पाया गया है कि भू–राजस्व निर्धारण की प्रक्रिया लम्बी और बोझिल है जिसके कारण परिशोधित भू–व्यवस्था (बन्दोबस्त) की प्रक्रिया को पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त, भू–राजस्व बहुत थोड़ा होता है और इसे इसके निर्धारण हेतु विस्तृत सामयिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् भी विहित सीमा के ऊपर बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः, गत भू–व्यवस्था (बन्दोबस्त) के दौरान निर्धारित किए गए राजस्व के आधार पर एकमुश्त भू–राजस्व प्रभारित करने का उपबन्ध प्रस्तावित किया गया है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

शिमला :
तारीख : ....., 2023

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 5, 10, 11, 13, 14, 16 और 17 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु सशक्त करते हैं। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

———————

शरद कुमार लगवाल)
सचिव विधि।

शिमला :

तारीख : ....., 2023

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 18 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 5.
4. Amendment of section 15.
5. Insertion of section 17-A.
6. Amendment of section 18.
7. Amendment of section 21.
8. Amendment of section 23.
9. Amendment of section 33.
10. Amendment of section 35.
11. Amendment of section 37.
12. Insertion of section 62-A.
13. Amendment of section 107.
14. Amendment of section 117.
15. Amendment of section 120.
16. Insertion of section 138-A.
17. Amendment of section 162.

BILL NO. 18 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2023

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (6), for the words "the official gazette for Himachal Pradesh", the words and sign "the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh" shall be substituted;

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, after sub-section (2), for the Explanation-I, the following shall be substituted, namely:—

"*Explanation.*—For the purpose of this section, a site within the limits of a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Panchayat or Cantonment Board, shall not be deemed to be the site of a village.".

4. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, at the end, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that any appeal may be admitted after the specified period if the appellant satisfies the Collector, Commissioner or the Financial Commissioner as the case may be that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.".

5. Insertion of section 17-A.—After section 17 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"17-A Time limit for deciding the appeal, review and revision.—(1) Save as provided in section 14 of this Act, the Collector, Commissioner and the Financial Commissioner shall decide every case of appeal, review or revision, as the case may be, within a period of four months from the date of filing thereof:

Provided that for the reasons to be recorded in writing the time period may be extended by two months.

(2) If the Revenue Officer fails to decide the case within the extended period, the proceedings shall not become invalid for final adjudication merely on the ground of lapse of the stipulated period. However in the case of Collector and Commissioner he shall submit a report in the manner as may be prescribed citing reasons for such delay to the officer under

whose control he is subjected to and after considering the report and examining the record, if the Controlling Officer is satisfied that there were valid and genuine reasons for delay in deciding the case, he may accept the report with no further action. In case the Controlling Officer is not satisfied with the report, he shall submit his observations to the Government for such action and in such manner, as may be prescribed against the erring officer.

(3) If the Revenue Officer fails to submit a report required under sub-section (2) he shall be liable for an action under relevant service rules applicable to such officer after following due procedure.".

6. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) Subject to the rules made under this Act, a Revenue Officer may refer any case which he is empowered to dispose of under this Act to another Revenue Officer for investigation and report. The investigating officer after hearing the parties concerned shall furnish a report within two months. The Revenue Officer shall consider the report so submitted and decide the case on merits within the stipulated period after hearing the interested parties.".

7. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act,—

(a) in sub section (1), after the words "recognised agent", the following shall be inserted, namely:—

"or (c) on any adult member of the family residing with him:

Provided that any such adult member should not be a party to the proceedings of the case to which the summon pertains.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the family shall mean the spouse, sons and unmarried daughters.";

(b) in sub-section (2), for the word "posting", the word "affixing" shall be substituted;

(c) in sub-section (5) for the sign ":", the sign "." shall be substituted and the proviso thereafter shall be deleted;

(d) after sub-section (5), so amended, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(6) The summons may, if the Revenue Officer so directs, be served on the persons named therein either in addition to or in substitution for any other mode of service of summons through Short Message Service (SMS) or whatsapp, Electronic Mail (e-mail) or through other electronic mode at the phone number or Electronic Mail address, which shall be available or otherwise known, or made known, to the Revenue Officer:

Provided that if service is effected through any of the modes specified in this sub-section, the applicant or the appellant as the case may be, shall provide proof to

the satisfaction of the Revenue Officer of the genuineness of the phone number or Electronic Mail address being that of the recipient and the confirmed delivery report on the Electronic Mail address or mobile number of the party concerned, as the case may be, shall be considered as evidence of proper service and a printout of communication shall be placed on the record:

Provided further that an affidavit filed by the applicant or appellant shall be sufficient proof regarding the genuineness of the phone number or Electronic Mail address to which the communication is sent as being that of the recipient.''.

8. Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act,—

(a) for the word "posting", the word "affixing" shall be substituted; and

(b) after the word "relates" the words and signs, "or by publication in the daily newspaper having wide circulation in the area or in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh" shall be substituted.

9. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2-a). The Financial Commissioner may specify the time period, as he may deem fit, for making of or revising the record-of-rights.".

10. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act,—

(a) for sub-section (7), the following shall be substituted, namely:—

"(7) The Revenue Officer through a public notice to be issued in the manner and for such time as may be specified by the Financial Commissioner shall invite objections for the finalization of mutation of acquisition of rights as reported under sub-section (1) or (2) and if objections are received shall pass the final order after hearing the interested parties and deciding the objections. In case no objections are received within the specified time period the Revenue Officer shall pass order as he may deem fit."; and

(b) after sub-section (7), so substituted following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(8) The Revenue Officer shall pass the order under sub-section (5) within a period of one month from the date of report under sub-section (1) or (2) and if the Revenue Officer fails to pass order within the stipulated period the proceedings shall not become invalid for final adjudication merely on the ground of lapse of the stipulated period. However he shall submit a report in the manner as may be prescribed citing reasons for such delay to the officer under whose control he is subjected to and after considering the report and examining the record, if the Controlling Officer is satisfied that there were valid and genuine reasons for delay in passing the order he may accept the report with no further action. In case the Controlling Officer is not satisfied with the report, he shall submit his observations to the Government for such action and in such manner as may be prescribed against the erring officer.

(9) If the Revenue Officer fails to submit a report required under sub- section (8), he shall be liable for an action under relevant service rules applicable to such officer after following due procedure.".

11. Amendment of section 37.—In section 37 of the principal Act, after sub-section (3), following sub- sections shall be inserted, namely;—

"(4) The Revenue Officer other than the Assistant Collector shall decide the proceedings under sub-section (1) or (2) of this section within a period of six months from the date of filing application by any interested party:

Provided that for the reasons to be recorded in writing the time period may be extended by three months.

(5) The Assistant Collector of either grade shall decide such proceedings within a period of two months which may, for the reasons to be recoded in writing, be extended by one month.

(6) If the Revenue Officer fails to decide the case within the extended period under this section, the proceedings shall not become invalid for final adjudication merely on the ground of lapse of the stipulated period. However the Revenue Officer shall submit a report in the manner as may be prescribed citing reasons for such delay to the officer under whose control he is subjected to and after considering the report and examining the record, if the Controlling Officer is satisfied that there were valid and genuine reasons for delay in deciding the case he may accept the report with no further action. In case the Controlling Officer is not satisfied with the report, he shall submit his observations to the Government for such action and in such manner as may be prescribed against the erring officer.

(7) If the Revenue Officer fails to submit a report required under sub-section (6), he shall be liable for an action under relevant service rules applicable to such officer after following due procedure.".

12. Insertion of section 62-A.—After section 62 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"62A. Notwithstanding anything contained in this chapter, the State Government may, by notification, exempt any assessment circle from the process of assessment of the land revenue during a revised settlement and on the recommendation of the Settlement Collector, fix lump sum land revenue not exceeding ten times of the land revenue assessed during the last settlement.".

13. Amendment of section 107.—In section 107 of the principal Act, after sub-section (2), following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(3) The Revenue Officer shall define the limits of boundaries mentioned in sub-section (1) by conducting measurements on the basis of the method of surveys used during the last settlement that is by triangulation system or square system or electronic total station system of measurement etc. as the case may be.

(4) The Revenue Officer shall decide the proceedings of defining the boundaries within two months from the date of filing of application thereof:

Provided that for the reasons to be recorded in writing the time period may be extended by one month.

(5) If the Revenue Officer fails to decide the case within the extended period, the proceedings shall not become invalid for final adjudication merely on the ground of lapse of the stipulated period. However the Revenue Officer shall submit a report in the manner as may be prescribed citing reasons for such delay to the officer under whose control he is subjected to and after considering the report and examining the record, if the Controlling Officer is satisfied that there were valid and genuine reasons for delay in deciding the case he may accept the report with no further action. In case the Controlling Officer is not satisfied with the report, he shall submit his observations to the Government for such action and in such manner as may be prescribed, against the erring officer.

(6) If the Revenue Officer fails to submit a report required under sub-section (5), he shall be liable for an action under relevant service rules applicable to such officer after following due procedure.

(7) If all the interested parties have agreed to and accepted the limits defined by the Revenue Officer under sub-section (1) and objections have not been raised by any of the interested party during the proceedings, no appeal shall lie against the order of the Revenue Officer in such proceedings.".

14. Amendment of section 117.—In section 117 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and sign "at the discretion of the Revenue Officer to fine which may extend to fifty rupees.", the words and sign "to a fine, as may be prescribed" shall be substituted.

15. Amendment of section 120.—In section 120 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "Indian penal Code", the words, sign and figures "and under the provisions of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984" shall be inserted.

16. Insertion of section 138-A.—After section 138 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"138A Time limit for decision of partition cases.—(1) The Revenue Officer shall decide the partition proceedings within a period of six months from the date of application for partition:

Provided that for the reasons to be recorded in writing the time period may be extended by three months.

(2) If the Revenue Officer fails to decide the partition case within the extended period, the proceedings shall not become invalid for final adjudication merely on the ground of lapse of the stipulated period. However, the Revenue Officer shall submit a report in the manner as may be prescribed citing reasons for such delay to the officer to whose control he is subjected to and after considering the report and examining the record, if the Controlling Officer is satisfied that there were valid and genuine reasons for delay in deciding the case he may accept the report with no further action. In case the Controlling Officer is not satisfied with the report, he shall submit his observations to the Government for such action and in such manner as may be prescribed against the erring officer.

(3) If the Revenue Officer fails to submit a report required under sub section (2), he shall be liable for an action under relevant service rules applicable to such officer after following due procedure.".

17. Amendment of section 162.—In section 162 of the principal Act, for the words and sign "at the discretion of the Revenue Officer to fine which may extend to fifty rupees.", the words and sign "to a fine, as may be prescribed" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 regulates the administration, titles and rights of people related to land. During the last few decades a lot of changes have occurred in the socio, political, economic and technological arena which has direct bearing on the revenue governance system. Hence, in order to meet the changing needs of the public at large, it has become essential to update the relevant provisions of this Act.

The Act requires changes to make it more effective and to address the difficulties and problems being faced by the people due to delay in disposal of revenue cases. It is admitted fact that the large pendency of revenue cases is tarnishing the image of justice delivery system. Presently, there is no time period fixed for disposal of the revenue cases in the existing provisions of the Act. In many revenue courts the number of cases instituted is much higher than the number of cases disposed of for a particular time period causing constant rise in the pendency of the cases. Therefore, to address the problem of delay in decision of cases a time limit has been proposed for deciding the cases by the Revenue Officers.

It has been observed that most of the revenue matters are stuck on account of delay in proper service upon the parties. Therefore in order to ensure quick and proper service of summons, the provisions of electronic mode of summoning and summoning upon any adult members of the family of the addressee have been proposed.

The mutation of the rights acquired by any person requires a public hearing despite the fact that most of such acquisitions of rights are undisputed. In such a scenario in order to expedite the process of mutation proceedings, concept of public notice for inviting objection is required to be introduced.

It is also seen that the procedure of land revenue assessment is lengthy and cumbersome, which causes undue delay in completing the process of revised settlement. Further the land revenue is quite nominal and cannot be enhanced beyond a prescribed limit even after following a detailed time consuming procedure for its assessment. Therefore provision of charging of lump sum land revenue on the basis of revenue assessed during last settlement has been proposed. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
THE , 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 5, 10, 11, 13, 14, 16 and 17 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:

THE , 2023.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री तिलक राज पुत्र श्री लोकिया, निवासी गरंगड, डा0 गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरी माता का सही नाम सुरमो पत्नी श्री लोकिया है, परिवार नकल ग्राम पंचायत मनोला व मृत्यु प्रमाण–पत्र में उनका नाम सुरमो पत्नी लोकिया है जोकि सही है लेकिन हमारी मलकीयती भूमि मुहाल जोकना के पटवार वृत्त मनोला में उनका नाम कर्मो देवी पत्नी लोकी नन्द पुत्र रिखिया दर्ज है जोकि गलत है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता का नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत

अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 11–10–2023 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12–09–2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : तारीख दायरा :
34 / 2023 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी / 2023 21–08–2023

सुभाष चन्द पुत्र श्री सोभिया राम, गांव बेहिबाग, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ·· वादी।

बनाम

आम जनता ·· प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

सुभाष चन्द पुत्र श्री सोभिया राम, गांव बेहिबाग, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र में सुभाष चन्द पुत्र श्री सोभिया राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डूलाहर, पटवार वृत्त प्राहनुई, उप–तहसील पुखरी में मेरा नाम सुभाष कुमार पुत्र श्री सोभिया राम दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम सुभाष कुमार पुत्र श्री सोभिया राम की जगह सुभाष कुमार उर्फ सुभाष चन्द पुत्र श्री सोभिया राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त प्राहनुई को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14–09–2023 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : तारीख दायरा :
35 / 2023 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी / 2023 28–08–2023

ओमकार सिंह पुत्र श्री चैन सिंह, गांव तड़ोग, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

ओमकार सिंह पुत्र श्री चैन सिंह, गांव तड़ोग, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र में ओमकार सिंह पुत्र श्री चैन सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मौहड़ी, पटवार वृत्त मसरूंड, उप–तहसील पुखरी में मेरा नाम औंकार सिंह पुत्र श्री चैन सिंह, दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम औंकार सिंह पुत्र श्री चैन सिंह की जगह ओमकार सिंह पुत्र श्री चैन सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त मसरूंड को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11–09–2023 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : तारीख दायरा :
36 / 2023 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी / 2023 28–08–2023

भुपिन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह, गांव तड़ोग, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

भुपिन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह, गांव तड़ोग, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र में भुपिन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मौहड़ी, पटवार वृत्त मसरूंड, उप–तहसील पुखरी में मेरा नाम भोपिन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह, दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम भोपिन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह, की जगह भुपिन्द्र कुमार पुत्र श्री चैन सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त मसरूंड को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11–09–2023 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : तारीख दायरा :
23 एन0टी0रीडर / 2021 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी / 2021 12–07–2023

श्रीमती अंजना कुमार पत्नी दलीप सिंह, गांव न्यारी, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
.. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

श्रीमती अंजना कुमार पत्नी दलीप सिंह, गांव न्यारी, परगना धुन्धी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पति का नाम बेटे के शिक्षा प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में दलीप कुमार पुत्र श्री अन्नत राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त कियाणी, उप–तहसील पुखरी में मेरे पति का नाम दलीप सिंह पुत्र श्री अन्नत राम दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिन का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के पति के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन का नाम दलीप सिंह पुत्र श्री अन्नत राम की जगह दलीप सिंह

उर्फ दलीप कुमार पुत्र श्री अन्नत राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त कियाणी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14–09–2023 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 10 / 2023 तारीख रजुआ : 24–06–2023

श्री देबी सिंह पुत्र श्री रत्तन बीर, निवासी गांव ग्रादे, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति .. प्रत्यार्थी।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्री देबी सिंह पुत्र श्री रत्तन बीर, निवासी गांव ग्रादे, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में उद्धृत किया है कि उसकी पुत्री कविता देबी नेगी, गांव ग्रादे की जन्म तिथि दिनांक 11–04–1983 है परन्तु अज्ञानता के कारण वह अपनी उपरोक्त पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त कविता देबी नेगी पुत्री श्री देबी सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर / एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कविता देबी नेगी पुत्री श्री देबी सिंह, निवासी गांव ग्रादे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03–07–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 01 / 2023 तारीख रजुआ : 24–06–2023

श्रीमती राधिका देबी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी गांव कंढार, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति .. प्रत्यार्थी।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्रीमती राधिका देबी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी गांव कंढार, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में उद्धृत किया है कि उसकी पुत्री अंकिता नेगी पुत्री श्री विनोद कुमार, निवासी गांव कंढार जन्म तिथि दिनांक 01–02–2017 है परन्तु अज्ञानता के कारण वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त अंकिता नेगी पुत्री श्री विनोद कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर / एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अंकिता नेगी पुत्री श्री विनोद कुमार, निवासी गांव कंढार, की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03–07–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री चैन राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी व नायब तहसीलदार, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 2023 तारीख रजुआ : 19–08–2023

प्रियांशु पुत्र स्व0 श्री रामा नन्द, निवासी गांव चगांव, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

प्रियांशु पुत्र स्व0 श्री रामा नन्द, निवासी गांव चगांव, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त चगांव के राजस्व अभिलेख में प्रिमान्शु दर्ज है जोकि गलत है जबकि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में प्रियांशु दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया व आधार कार्ड प्रस्तुत किया है, प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रियांशु दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पटवार वृत्त चगांव के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त कर प्रार्थी का नाम प्रियांशु किए जाने में किसी प्रकार कोई उजर व एतराज हो तो वह भीतर एक माह व तारीख पेशी दिनांक 11–10–2021 को या इससे पूर्व अपना उजर व एतराज अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 11–09–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी व नायब तहसीलदार,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Chandermani s/o Sh. Cahudhary Ram, r/o Village & P.O. Mahadev, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) (age 70 years).

2. Shanta Kumari d/o Sh. Duni Chand Vaid, r/o Village & P.O. Patti, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) at presently residing at V.P.O. Mahadev, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) (age 60 years) . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Chandermani and Shanta Kumari applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-10-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 08-09-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Pushap Raj s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Dan, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Kirna Kumari d/o Shri Dinesh Kumar, r/o Village Taryambli, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) at present w/o Sh. Pushap Raj s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Dan, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Pushap Raj s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Dan, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) and Smt. Kirna Kumari d/o Shri Dinesh Kumar, r/o Village Taryambli, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) at present w/o Sh. Pushap Raj s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Dan, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) have filed an application under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-06-2020 according to Hindu rites and customs at Village Dan, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-10-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 4th September, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 13 / 2023 तारीख मरजुआ : 21–04–2023 तारीख पेशी : 24–08–2023

ब मुकद्दमा :

श्रीमती नीलम कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुरज सिंह, निवासी रडाहण, डाकघर उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ..वादिया।

बनाम

1. दुनी चन्द पुत्र दिले राम, निवासी रडाहण, डाकघर उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) आदि ..प्रतिवादीगण।

श्रीमती नीलम कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुरज सिंह, निवासी रडाहण, डाकघर उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में भूमि खाता खतौनी नं0 22 / 36, खसरा नं0 कित्ता 5, रकबा तादादी 43–19–14 बीघा, महाल रडाहण / 369 का तकसीम का दावा दायर कर रखा है। वादी द्वारा दायर किये गये दावा में प्रतिवादीगण नम्बर 01. दुनी चन्द, 02. भाग चन्द, 03. कर्म चन्द, 4. गोपाल सिंह, 5. पृथी सिंह, 6. राम चन्द, 10. दुर्गा देवी, 14. देवी सिंह, 16. गुड्डी, 18. पुरखी, 19. इन्द्र, 20. प्रेमी, 21. मिडकू राम, 22. श्याम लाल, 23. प्रेम लाल, 24. टेक चन्द, 25. स्वामी राम की तामील बार–बार तामील कुनिदा द्वारा करवाई गई परन्तु उक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है, इसके उपरान्त उक्त प्रतिवादीगणों की तामील बजरिया चस्पांगी भी की गई परन्तु प्रतिवादीगण बजरिया चस्पांगी द्वारा भी न्यायालय में तारीख पेशी को हाजिर नहीं हो रहे हैं तथा प्रतिवादीगण नं0 9. इन्द्र देव, 11. भाटकी, 12. विणा राम, 13. हरी राम, 15. सुन्दर लाल, 17. भाटकी की तामील कुनिन्दा द्वारा करवाई गई, तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से पाया गया कि उक्त प्रतिवादीगण फौत हो चुके हैं तथा इनके जायज वारसानों का सही पता नहीं चल पा रहा है।

अब इस राजपत्र इश्तहार द्वारा उक्त सभी प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25–09–2023 को उक्त दावा की तारीख पेशी निश्चित की गई है यदि कोई प्रतिवादीगण तकसीम दावा में अपना खाता अलग करवाना चाहता है तो वह दिनांक 25–09–2023 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने ब्यान कलमबद्ध करवा सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26–08–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sh. Laxman Singh Kanet (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Hem Raj s/o Sohan Lal, r/o Village Neori, P.O. Gohar, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).

2. Pratibha Thakur d/o Sh. Devi Chand, r/o Village Khanethi, P.O. Khunan, Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 8.4 of Himachal Pradesh Marriage Registration Act, 1996.

Sh. Hem Raj and Pratibha Thakur have filed an application on 13-09-2023 alongwith photo copies of affidavits in the court of undersigned under section 8.4 of the Himachal Pradesh Marriage Act, 1996 that they have solemnized their marriage on 25-01-2021 and they are living as husband and wife since then. Due to lack of knowledge they had not entered the name of his wife in Gram Panchayat Delag Tikkari. Now, as per provision under section 8.4 of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996, they have applied for entered the name of Pratibha Thakur in the record of Gram Panchayat Delag Tikkari.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this entry, can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-10-2023. The objection received after 16-10-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-09-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raman Raghuvanshi *alias* Room Singh s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Chhalal, P.O. Kasol, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Room Singh to Raman Raghuvanshi *vide* Civil Suit No. 524/2019 filed in the Court of Civil Judge, Kullu, Distt. Kullu (H.P.) instituted on 09-11-2019 and decided on 03-07-2023.

RAMAN RAGHUVANSHI *ALIAS* ROOM SINGH
s/o Sh. Dhani Ram,
r/o Village Chhalal, P.O. Kasol,
Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sahil s/o Sh. Arjun Singh, r/o Village Dhoran Khas, P.O. Dhoran, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Sahil to Sahil Singh for all purposes in future. Please note.

SAHIL
s/o Sh. Arjun Singh,
r/o Village Dhoran Khas, P.O. Dhoran,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mukal s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o V.P.O. Dhoran, Sub-Tehsil Sullah, Distt. Kangra (H.P.) have changed my name from Mukal to Mukal Kumar for all purposes in future. Please note it.

MUKAL
s/o Sh. Rakesh Kumar,
r/o V.P.O. Dhoran,
Sub-Tehsil Sullah, Distt. Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।